कार्यालय/न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, (सदस्य)
श्री दिनेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ, (सदस्य)

सर्वश्री वाराणसी डेवलपमेन्ट अथॉरिटी,
पन्ना लाल पार्क, वाराणसी–221002
GSTIN- 09AAATV6811A1ZP (आवेदक)

आवेदक की ओर से :– श्री डी0के0 मित्तल (C.A.) तथा श्री शिव कुमार तिवारी (Account Officer)
विभाग की ओर से :– ....

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय।

श्री संजय कुमार पाठक (सदस्य)

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रश्नगत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी हैः–

"Seeking clarification on whether the Development Authorities formed & constituted under "Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973" are to be treated as "Exempt Entity" under new GST Law."

आवेदन पर सुनवाई हेतु श्री डी0के0 मित्तल (C.A.) तथा श्री शिव कुमार तिवारी, लेखाधिकारी, वाराणसी विकास प्राधिकरण उपस्थित हुए। उनके द्वारा सर्विस टैक्स रिजीम में सी.बी.ई.सी. द्वारा जारी विभिन्न विज्ञप्तियों को संदर्भित किया गया, "Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973" की प्रति प्रस्तुत की गयी, इसके अतिरिक्त प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय विभिन्न साइट्स पर जी.एस.टी. के सम्बन्ध में प्रकाशित खबरों को संदर्भित किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, जोन–द्वितीय, वाराणसी से आवेदन पत्र के तथ्यों पर विभाग का पक्ष अग्रिम विनिश्चय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कराने की अपेक्षा की गयी। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन–द्वितीय द्वारा प्रश्नगत आवेदन के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा संकलित तथ्य एवं साक्ष्य अग्रिम विनिश्चय प्राधिकरण के विचार हेतु प्रस्तुत किये गये। विभाग द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं –

1. विकास प्राधिकरण का गठन "Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973" के अधीन किया जाता है। इस अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत यह Body कॉर्पोरेट होने के कारण Government Authority नहीं हो सकती।

(मधु)
22/6/18

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जी.एस.टी. उत्तर प्रदेश

2. Autonomous Body होने के कारण विकास प्राधिकरण का Government Body होने का प्रश्न विवादित है।
3. दिनांक 04.05.2018 को नोएडा में आयोजित REIC की बैठक में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी तथा यमुना एक्सप्रेस–वे अथॉरिटी को Body Corporate होने के कारण सेवाओं पर करमुक्ति हेतु पात्र नहीं पाया गया।
4. विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2018 को Times of India में प्रकाशित खबर का उद्धरण दिया गया है तथा यह कथन किया गया है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी Civic Body है, क्योंकि वहाँ कोई अन्य Civic Body नहीं है, किन्तु वाराणसी विकास प्राधिकरण के मामले में यह स्थिति नहीं है।
5. GDA (Ghaziabad Development Authority) तथा आवास विकास परिषद द्वारा सभी प्रकार की सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर जमा किया जा रहा है। VDA (Varanasi Development Authority) द्वारा भी समान सेवायें दी जाती हैं।
6. यदि VDA (Varanasi Development Authority) को Government Authority मान भी लिया जाता है तो भी संविधान के अनुच्छेद–243W में वर्णित कार्यों हेतु दी गयी सेवाओं के बदले प्राप्त धनराशि पर करमुक्ति अनुमन्य होगी।

आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों के आलोक में आवेदक तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों पर विचार किया गया। प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि :–

"Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973" के अधीन गठित विकास प्राधिकरण जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत "Exempt Entity" हैं अथवा नहीं।

सी0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा–2(84) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी आदि "Person" की परिभाषा में समाहित हैं।

सी0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा– 2(17)(i) निम्नवत है:–

[2.] **Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires.-

(17) "business" includes-

(i) any activity or transaction undertaken by the Central Government, a State Government or any local authority in which they are engaged as public authorities ;

स्पष्ट है कि लोक प्राधिकारी के रूप में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारी के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में किए गए संव्यवहार "कारोबार (business)" की श्रेणी में है।

सी0जी0एस0टी0 अधिनियम तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई Entity 'Exempt Entity' के रूप में परिभाषित नहीं है तथा सी0जी0एस0टी0 अधिनियम एवं उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम में 'Exempt Entity' जैसी कोई Entity नहीं है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– 11/2017–Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) तथा विज्ञप्ति सं0– 12/2017– Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) तथा इनके समतुल्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30.06.2017 तथा विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-

2-843/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(10)-2017 दिनांक 30.06.2017 (समय–समय पर संशोधित) में "Governmental Authority" निम्न प्रकार परिभाषित है –

[(zf) <u>"Governmental Authority"</u> means an authority or a board or any other body, - (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or (ii) established by any Government, with 90per cent. or more participation by way of equity or control, to carry out any function entrusted to a Municipality under article 243 W of the Constitution or to a Panchayat under article 243 G of the Constitution.]

यह तथ्य निर्विवाद है कि विकास प्राधिकरण का गठन "Uttar Pradesh Urban Planning & Development Act, 1973" के अधीन किया गया है। यह Act of State Legislature, Uttar Pradesh है।

उक्त विधिक प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– 11/2017–Central Tax (Rate) (समय--समय पर संशोधित) तथा विज्ञप्ति सं0– 12/2017– Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) तथा राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30.06.2017 तथा विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-843/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(10)-2017 दिनांक 30.06.2017 (समय–समय पर संशोधित) में परिभाषित Governmental Authority हैं तथा संविधान के अनुच्छेद–243W एवं इससे सम्बन्धित बारहवीं अनुसूची में अंकित दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवायें केन्द्र सरकार जारी विज्ञप्ति सं0– 12/2017– Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-843/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(10)-2017 दिनांक 30.06.2017 (समय–समय पर संशोधित) की सुसंगत प्रविष्टियों के तहत करमुक्ति के पात्र हैं। विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही ऐसी सेवायें जो केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– 11/2017–Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30.06.2017 से आच्छादित हैं, उन सेवाओं पर नियमानुसार विकास प्राधिकरण की करदेयता है।

यह अग्रिम विनिर्णय जी0एस0टी0 से सम्बंधित है तथा जी0एस0टी0 रिजीम से पूर्व प्रभावी सर्विस टैक्स के किसी प्रकरण पर इस अग्रिम विनिर्णय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनिर्णय

सी0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अनुसार कोई Entity 'Exempt Entity' नहीं है। वाराणसी विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– 11/2017–Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) तथा विज्ञप्ति सं0– 12/2017– Central Tax (Rate) (समय–समय पर संशोधित) तथा राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-842/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(09)-2017 दिनांक 30.06.2017 तथा विज्ञप्ति सं0– KA.NI.-2-843/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order-(10)-2017 दिनांक 30.06.2017 (समय–समय पर संशोधित) में परिभाषित Governmental Authority है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आपूर्ति (Supply)की जा रही ऐसी सेवाओं एवं वस्तुओं, जिन्हें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा

विज्ञप्ति के माध्यम से करमुक्ति प्रदान की गयी है, को छोड़कर शेष सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की नियमानुसार करदेयता है।

Sd/ 31.05.2018

(दिनेश कुमार)
एडिशनल कमिश्नर
(जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ।
(सदस्य)

Sd/ 31.05.2018

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(सदस्य)

सत्य प्रतिलिपि

31.05.2018

(संजय कुमार पाठक)
सदस्य

आदेश सं0 08 **अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण उ0प्र0** **दिनांकः** 31.05.2018

प्रतिलिपिः–

1. चीफ कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 एवं सेन्ट्रल एक्साइज, लखनऊ, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, सदस्य, अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण।
3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, जोन–द्वितीय, वाराणसी के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार के करनिर्धारण अधिकारी हेतु।
4. ज्वाइण्ट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 कमिश्नरेट, वाराणसी।
5. सर्वश्री वाराणसी डेवलपमेन्ट अथॉरिटी, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी।

न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जी.एस.टी. उत्तर प्रदेश